न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बागनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 16/2024 रा.वा.

उनवान

1. श्री जगदीश पिता शंकरजी भोई उम्र बालिग, जाति भोई
2. श्री काली पुत्री शंकर जी भोई, पत्नी धुलाजी भोई उम्र 48 वर्ष, जाति भोई
3. श्री गमेरी बाई पत्नी शंकर जी भोई उम्र बालिग, जाति भोई
4. श्री नन्दलाल पिता शंकर जी भोई उम्र बालिग, जाति भोई
5. श्रीमती तारा पुत्री शंकर जी भोई पत्नी गणेश भोई उम्र बालिग, जाति भोई
6. श्रीमती भेरी बाई पत्नी भेरा भोई उम्र बालिग, जाति भोई
   निवासी सलुम्बर, तह. सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)
7. श्रीमती काली बाई पुत्री भेरा भोई पत्नी रणछोड भोई उम्र बालिग, जाति भोई, निवासी लोहारिया, तह. गनोडा, जिला बांसवाडा (राज.)
8. श्रीमती पारू पुत्री भेरा भोई पत्नी रमेश भोई उम्र 40 वर्ष, जाति भोई, निवासी संलुम्बर, तह. सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)

——वादीगण

विरूद्ध

1. श्री जयप्रकाश आगाल पिता मगनलाल आगाल, उम्र बालिग, जाति माहेश्वरी
2. श्रीमती कान्ता पत्नी जयप्रकाश आगाल, उम्र बालिग, जाति माहेश्वरी
   निवासी सलुम्बर, तह. सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब, सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)

——प्रतिवादीगण

(वाद बाबत् घोषणा कराने खातेदारी हक, इन्द्राज दुरस्ती)

—:प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—10 जा.दि.:—

—::निर्णय::—

दिनांकः—12.01.2025

उपस्थितिः श्री राकेश पुर्बिया अधिवक्ता—वादीगण
श्री गोविन्दलाल डांगी अधिवक्ता —प्रतिवादी संख्या 1, 2

पत्रावली आज प्रार्थना पत्र धारा 10 जा.दि. के आदेश हेतु नियत है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण द्वारा धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जा.दि. का प्रस्तुत कर कथन किया कि—

1. मौझा सलुम्बर पटवार हल्का सलुम्बर की साबिक आराजी नम्बर 1174/1, 1175—1176—1181/1, 1179/2, 1183/2, 1178/2 कुल खेत 5 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल आराजी नम्बर 843, 851, 852, 873, 874, 880, 881, 882, 883, 884, 885 कुल खेत 11 रकबा 0.5300 हेक्टर का एकमात्र खातेदार काश्तकार एवं काबिज स्व. नेणसिंह जी राजपुत निवासी सलुम्बर था एवं उनके निधन के बाद उनके वारिश 2 दो पुत्र गमेरसिंह एवं डुंगरसिंह बने थे, उक्त भूमि की 1/2 आधी

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

गमेरसिंह की थी जो उनके निधन के बाद उनके पुत्र वादी हरिसिंह को प्राप्त हुई एवं 1/2 आधी भूमि डुंगरसिंह की थी जो उनहें प्राप्त हुई।

2. कि डुंगरसिंह ने अवैध रूप से अपने भतीजे हरिसिंह का 1/2 आधा हिस्सा मु नं. 16/24 रा.वाद के वादीगण के पुरखे लालु पुत्र नानजी भोई को दिनांक 22–11–1958 को बेच दिया। लालु के वारिश भेरा पुत्र लालु, शंकर पुत्र लालु एवं स्व. डुंगरसिह के वारिशो के विरूद्ध हरिसिंह ने इसी न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 01/16 रा.वाद दिनांक 30–12–2015 को पेश किया जिसमें वादग्रस्त की 1/2 आधी भूमि का एकमात्र खातेदार होने की घोषणा कराने का एव पांती बंटवाडा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जो आज भी विचाराधीन है। वर्तमान में उक्त वाद उपखण्ड अधिकारी उदयपुर गिर्वा के न्यायालय में विचाराधीन है जो सलुम्बर जिला बन जाने से शीघ्र इसी न्यायालय में आने वाला है।
3. कि पक्षकारों के मध्य एक ही जायदाद के 2 दो वाद अलग अलग वाद पेश करना सम्भव नहीं है यदि वादी हरिसिंह का उक्त वाद डिक्री होता है तो वादग्रस्त भूमि की 1/2 हरिसिंह अथवा उसके वारिशों को प्राप्त होगी एवं 1/2 आधी डुंगरसिंह का हिस्सा डुंगरसिह ने स्व० लालु को बेच दिया इसलिये लालु भोई के वारिश वादीगण को प्राप्त होगा। इसलिये वादग्रस्त पुरी भूमि का स्व. लालु भोई के वारिशों को यह वाद पेश करने का अधिकार नहीं है। स्व. लालु पुत्र नानजी भोई के पास जो जमीन है उसकी 1/2 आधी डुंगरसिंह के हिस्से के खातेदार है एवं शेष भूमि स्व. हरिसिंह एवं उसके वारिशों की है।
4. कि मु.नं. 01/16 रा.वाद इसी जमीन का हरिसिंह ने पेश किया है जो आज भी विचाराधीन है एवं उसी जमीन का दुबारा वाद संख्या 16/24 रा.वाद स्व. खातेदार लालु के वारिशों ने वादीगण बनकर पेश किया हैं इसलिये जब तक मु. नं. 01/16 रा.वाद का निर्णय नहीं होता तब तक इस मु.नं. 16/24 रा.वाद की कार्यवाही धारा 10 जा.दी. में स्थगित रखना न्याय संगत व न्यायहित में है।
5. कि दोनों वाद पत्रों में वादग्रस्त भूमि एक ही है दोनों वाद पत्र में भूमि की खातेदारी की घोषणा कराने की प्रार्थना है। इसलिये जब तक हरिसिंह के वाद पत्र का निर्णय नहीं हो जाता तब तक इस वाद की कार्यवाही काबिल स्थगित के है।
6. कि इस वाद के वादीगण ने साबिक आराजी नम्बर किता 5 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा से बना हाल आ.नं. 882 रकबा 0.06 हेक्टर का विवरण वाद पत्र की कलम संख्या 1 एक में क्यों नहीं लिखा है जबकि वाद पत्र के पेरा नं. 4 चार में लिखा है संवत 2056 से 2059 की जमाबंदी में स्व. लालु पुत्र नानजी भोई के नाम कुल खेत 11 रकबा 0.53 हेक्टेयर भूमि थी जबकि वादीगण वर्तमान हाल खाता सं. 276 में कुल खेत 10 रकबा 0.47 हेक्टर क्यों बतलाए है एवं आ.नं. 882 को क्यों छोडा है, उसका क्या हुआ? क्या वादीगण ने इस आराजी को कही बेच तो नहीं दिया है, वाद पत्र में स्पष्ट नहीं है।
7. कि यदि इस प्रकरण की कार्यवाही स्थगित नहीं रखी गई तो दोनों प्रकरणो में एक ही भूमि बावत् अलग अलग निर्णय होने की पुरी संभावना बनी रहेगी, मु.नं. 01/16 रा.वाद की प्रमाणित प्रति साथ में पेश है।

अतः प्रार्थना है कि मु.नं. 01/16 रा.वाद हरिसिंह विरूद्ध श्री भेरा आदि वर्तमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के न्यायालय में विचाराधीन है एवं उक्त वाद के निर्णय तक इस प्रकरण संख्या 16/24 रा.वाद श्री जगदीश विरूद्ध जयप्रकाश की कार्यवाही धारा 10 जा.दी. में स्थगित रखने का आदेश प्रदान करावे।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 10 जा.दि. के प्रार्थना–पत्र पर वादी संख्या 1 से 8 की ओर से विस्तृत जवाब/आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई है कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा धारा 10 जा.दी. का प्रार्थना पत्र गलत व्याख्या कर अपनी मनमर्जी के अनुसार पेश किया है जबकि धारा 10 सीपीसी में स्पष्ट वर्णन है कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद की सुनवाई आगे नहीं बढ़ायेगा जिसमें विवादित मामला सीधे और सारतः उसी पक्षकारों के बीच पहले से संस्थित वाद से सम्बन्धित है या उन पक्षकार के बीच हो जिनके अन्तर्गत वे या उनमें से कोई एक उसी शिर्षक के अन्तर्गत मुकदमा करने का दावा करता हो, जहां ऐसा वाद उसी या अन्य किसी न्यायालय में लम्बित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि धारा 10 सीपीसी का मुल उद्देश्य यह है कि न्यायालय किसी ऐसे किसी मुकदमें की सुनवाई आगे नहीं बढ़ायेगा जिसमें विवादित मामला उसी पक्षकार के बीच लम्बित किसी वाद से जुडा हों। हस्तगत प्रकरण के अलावा वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच अन्य कोई प्रकरण आप न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

1. कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या अस्वीकार है। वादीगण के ससुर व दादा लालु पिता नानजी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के सन् 1958 में वादग्रस्त कृषि भूमि खरीदी थी तब से उक्त कृषि भूमि पर लालु पिता नानजी के वारिसानों का ही करीब 65 वर्षो से अधिक समय से स्वामित्व, आधिपत्य एवं कब्जा चला आ रहा है, किसी अन्य का कोई स्वामित्व, अधिपत्य कब्जा उक्त भूमि पर नहीं है, ना ही किसी अन्य न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश या निणर्य उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में पारित किया गया है जिससे यह साबित हो कि उक्त कृषि भूमि वादीगण की नहीं होकर किसी अन्य व्यक्ति की हो।
2. कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 अस्वीकार है। उक्त प्रकरण में वादीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है ना ही वादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आदेश न्यायालय द्वारा पारित कर रखा है।
3. कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अस्वीकार है। प्रतिवादीगण मात्र वादीगण की वाद को लम्बित करने व लम्बा खिंचने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रतिवादीगण को अच्छे से पता है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के स्वामित्व आधिपत्य की है जो वर्षो से वादीगण के ही स्वामित्व में चली आ रही है व कब्जे काश्त में है केवल मात्र सेटलमेन्ट अधिकारियों की लापरवाही के कारण मिलान व नक्शे में आराजी नम्बर 1175, 1176, 1181 की जगह आराजी नम्बर 886 को दर्शित कर दिया है, आराजी नम्बर 886 प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के नाम दर्ज हो गया है। आराजी नम्बर 886 पूर्व आराजी नम्बर 1108 से बना है ना कि 1175, 1176 व 1181 से बना है। जबकि मुल आराजी 1175, 1176, 1181 जो वादीगण के दादा व ससुर ने क्रय किया था जिसका मिलान सेटलमेन्ट अधिकारियों ने बनाया ही नहीं है। वादीगण व प्रतिवादीगण की जमीन अलग अलग होकर दोनो अपने अपने हिस्से पर काबिज है। आराजी नम्बर 886 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि सेटलमेन्ट अधिकारियो की त्रुटीवश रिकार्ड व नक्शे में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई है। वह वास्तव में आराजी नम्बर 1175, 1176 व 1181 की भूमि है जिसमें वादीगण का कुआं भी है, वादीगण के देवताओ का देवरा भी है तथा शौचालय भी बना रखा हैं।
4. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4, 5 व 6 अस्वीकार होकर आधारहीन है। केवल मात्र प्रकरण को लम्बित करने के लिये अनावश्यक प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण द्वारा पेश किया गया है। जो चलने योग्य नहीं है। केवल वाद को लम्बित करने के लिये पेश किया है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

5. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 7 अस्वीकार होकर उक्त प्रकरण का किसी अन्य प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। उक्त प्रकरण जो वादीगण ने पेश किया है वह उक्त जमीन पर 65 वर्षो से अधिक समय से काबिज होकर करीब 3 पीढ़ियों से खातेदार है तथा केवल मात्र सेटलमेन्ट अधिकारियों की त्रुटी के कारण वादीगण के हिस्से की जो जमीन प्रतिवादीगण के खाते दर्ज हो गई है उसे ही रिकॉर्ड दुरस्ती करवाकर वादीगण ने अपने नाम पर दर्ज करने का वाद पत्र आप न्यायालय में पेश किया है। सम्पूर्ण भूमि का कोई वाद पत्र पेश नहीं किया है ना ही सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादीगण का किसी तरह का कोई लेना देना है। केवल मात्र वर्तमान आराजी नम्बर 1803/886 रकबा 0.03 हेक्टर व आराजी नम्बर 1802/886 रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि जो वादीगण की है तथा वर्तमान में प्रतिवादीगण के खाते दर्ज है, उसी का राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त करवाकर वादीगण के खाते दर्ज कराने का वाद पत्र पेश किया है, न कि वादीगण के खाते में दर्ज सम्पूर्ण कृषि भूमि का कोई वाद पत्र पेश 'किया है तथा उक्त वाद का अन्य किसी वाद से कोई प्रभाव पडने वाला नहीं है। केवल मात्र प्रतिवादीगण उक्त वाद को लम्बित करने व वादीगण की जमीन पर जबरन कब्जा करने के प्रयास करने की कोशिश में उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है ताकि वह उक्त वाद को लम्बित कराकर मोके पर जो जमीन वादीगण के कब्जे मे है उस पर अपना कब्जा, हक जमाने की कोशिश कर सके।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादीगण ने जो धारा 10 जा.दी. का प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में पेश किया है उसे सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र धारा 10 जा.दि. पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रतिवादी के कथन है कि वाद संख्या 01/16 वर्तमान वाद से पूर्व संस्थित वाद है तथा लंबित है। दोनों वादों में विवादित कृषि भूमि एक ही है। दोनों वादों में खातेदारी/स्वामित्व अधिकार का निर्धारण किया जाना है। पूर्व वाद का निर्णय वर्तमान वाद को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। समान विषय पर समानांतर कार्यवाही से परस्पर विरोधी निर्णय होने की संभावना है।

वादीगण ने आपत्ति के साथ कथन किया है कि दोनों वादों के पक्षकार समान नहीं हैं, अतः धारा 10 लागू नहीं होती। वर्तमान वाद केवल रिकॉर्ड दुरुस्ती/सीमित भूमि से संबंधित है। वादी का कब्जा व स्वामित्व लंबे समय से है। प्रतिवादी द्वारा आवेदन केवल वाद को लंबित कराने हेतु दायर किया गया है।

बहस मनन की गई। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 10 CPC पर वादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार किया गया। प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10के प्रावधान का प्रकरण में अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार हैः–

10. Stay of suit.—

No Court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other Court in India have jurisdiction to grant the relief claimed, or in any Court beyond the limits of India established or continued by the Central Government and having like jurisdiction, or before the Supreme Court.

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

***Explanation.**—The pendency of a suit in a foreign Court does not preclude the Courts in India from trying a suit founded on the same cause of action.*

धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार कोई भी न्यायालय ऐसे वाद की सुनवाई आगे नही बढ़ाएगा, जिसमें विवादित विषय सीधे एवं वास्तविक रूप से उसी विषय से संबंधित हो, जो पूर्व में दायर किसी अन्य वाद में उन्हीं पक्षकारों अथवा उनके अधीन दावा करने वाले पक्षकारों के मध्य विचाराधीन हो। धारा 10 का उद्देश्य समान विषय पर दो समानांतर वादों की सुनवाई से बचना तथा परस्पर विरोधी निर्णयों को रोकना है।

उभयपक्ष के कथनो एवं पूर्ववर्ती वाद संख्या 1/2016 रा.वा. एवं उक्त वाद प्रकरण संख्या 16/2024 रा.वा. के ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि वाद संख्या 01/16 वर्तमान वाद से पूर्व संस्थित वाद है तथा सक्षम राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है। यह तथ्य विवादित नहीं है। यद्यपि दोनों वादों में पक्षकार नामतः पूर्णतः समान नहीं हैं, तथापि दोनों वादों में पक्षकार भूमि के अधिकार/हिस्सेदारी के संबंध में एक ही अधिकार–श्रृंखला के अंतर्गत दावा कर रहे हैं। दोनों वादों में विवाद का मूल प्रश्न भूमि पर खातेदारी/स्वामित्व अधिकार का निर्धारण है। यह प्रश्न वर्तमान वाद में भी प्रत्यक्ष एवं वास्तविक रूप से विचाराधीन है, चाहे वादी द्वारा उसे रिकॉर्ड दुरुस्ती अथवा सीमित भूमि के रूप में प्रस्तुत किया गया हो। पूर्व वाद संख्या 01/16 का अंतिम निर्णय वर्तमान वाद में अधिकारों के निर्धारण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों वाद पूर्णतः स्वतंत्र हैं। यदि दोनों वादों की कार्यवाही एक साथ जारी रहती है तो एक ही भूमि के संबंध में दो भिन्न निर्णय होने की वास्तविक संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो न्यायहित में नहीं है।

वादी द्वारा कब्जे व उपयोग संबंधी तथ्य अंतिम निर्णय का विषय हैं, जिनका परीक्षण पूर्व वाद में भी किया जाना है। यह तथ्य धारा 10 के आवेदन के निस्तारण में निर्णायक नहीं है। अतः पूर्व वाद का निर्णय वर्तमान वाद को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा तथा समान विषय पर समानांतर कार्यवाही से बचना न्यायोचित है।

–::आदेश::–

अतः प्रतिवादीगण द्वारा धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।फलस्वरूप, वाद संख्या 16/24 की संपूर्ण कार्यवाही वाद संख्या 01/16 के अंतिम निर्णय तक स्थगित की जाती है।

वाद संख्या 01/16 के अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने पर वर्तमान वाद में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी अथवा वाद संख्या 01/16 रा.वा. इस न्यायालय मे प्राप्त होने पर उक्त वाद को पूर्ववर्तीवाद संख्या 01/16 रा.वा. के साथ संमेकित किया जा कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

आदेश दिनांक 12/01/26 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला–सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर